सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTERANGEAZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया   प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 07.01.2025

आजमगढ़

01. प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्तर्राज्यीय साल्वर गैंग के वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अर्टिका कार नं0 UP61BH3127, 06 अदद मोबाईल घटना में प्रयुक्त, 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड विशाल कुमार, 03 अदद एडमिट कार्ड , 01 अदद प्रश्न पुस्तिका बरामद किया गया।

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.01.2025 को थाना कोतवाली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के साल्वर गैंग के वांछित 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अर्टिका कार नं0 UP61BH3127, 06 अदद मोबाईल घटना में प्रयुक्त, 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड विशाल कुमार, 03 अदद एडमिट कार्ड , 01 अदद प्रश्न पुस्तिका बरामद किया गया।

थाना-कोतवाली

पूर्व की घटना/इतिहास–

केन्द्राध्यक्ष शिब्ली नेशनल डिग्री कालेज आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर शिब्ली नेशनल कालेज परीक्षा केन्द्र में UPCCSCR : 2024-25 की परीक्षा संचालित की जा रही थी जिसमें दिनांक 04-01-2025 को प्रथम पाली की परीक्षा में कक्ष संख्या- 103 में श्री अनूप सागर पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार ग्राम मऊपारा, देवकली गाज़ीपुर सामिलित हुआ, उक्त अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में KYC अपडेट न हो पाने के कारण डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा था, अतः संदेहवश जब पूछा गया तो पहले स्वीकार करने से मना कर दिया एवं स्वयं को अनूप सागर पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार बताया परन्तु जब परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गयी तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम विकास कुमार पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद निवासी असनिया कुआं, थाना कदम कुआं, पटना, बिहार बताया। श्री अनूप सागर पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में सम्मलित विकास कुमार पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद ने यह भी बताया कि कुछ पैसों के बदले उसने यह काम किया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 6/25 धारा 61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 6 /10 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 दि0 4.1.2025 को पंजीकृत किया गया।

घटना का अनारण/ पूछताछ का विवरणः- पकड़े गये अभियुक्त रामप्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव नि0 चितावन पट्टी थाना जमानिया जनपद गाजीपुर ने बताया कि दुर्गेश तिवारी बिहार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठने हेतु साल्वर की व्यवस्था कराता हूँ जिसमें विक्की कुमार की सहायता से परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में फोटो परिवर्तित कराकर साल्वर को बैठने के लिए भेजता हूँ। राम प्रवेश यादव ने यह भी बताया कि वर्ष 2021 के पूर्व से ही नौकरी दिलाने के लिए लोगों को फंसाता था और उनसे डील करके उनके स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा दिलवाता था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाकर फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का कार्य हम सभी लोग मिल करते हैं। हमारा एक संगठित गिरोह है। अपने संगठित गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पूर्व से ही फर्जी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर साल्वर को बैठाकर यह कार्य हम सभी मिल कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के

स्थान पर साल्वर को बैठाने के नाम पर लगभग 10 लाख रूपए में डील तय होती थी। इसमें से 02 लाख रूपए परीक्षा देने से पहले तथा शेष रूपए परीक्षा देने के बाद लिए जाते थे। उक्त कार्य में दुर्गेश तिवारी मुख्य भूमिका अदा करते थे। दुर्गेश तिवारी बिहार से साल्वर व फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु साल्वर की व्यवस्था करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं, सुनील कन्नौजिया, बबलू यादव, श्रवण कुमार यादव , सूर्यकान्त कुशवाहा उर्फ पिन्टू प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षार्थियों /कन्डीडेट की तलाश कर उनके साथ डील कर दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर योजना बनाकर फर्जी तरीके से परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाने का कार्य किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- दिनांक 04.01.2025 को

01. विकास कुमार उर्फ राकेश कुमार पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद उर्फ अरूण कुमार निवासी असनिया कुआं, थाना कदम कुआं, पटना, बिहार के बजाय हिलसा मोहल्ला शिवगुरु कालोनी पटेलनगर थाना हिलसा जिला नालंदा बिहार उम्र 38 वर्ष (साल्वर)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- दिनांक 05.01.2025 को

01. अनूप सागर पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम मऊपारा देवकली थाना नन्दगंज जिला गाजीपुर उम्र 24 वर्ष (परीक्षार्थी)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः दिनांक 06.01.2025 को

1. रामप्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव नि0 चितावन पट्टी थाना जमानिया जनपद गाजीपुर
2. सुनील कन्नौजिया पुत्र राजनाथ कन्नौजिया नि0 चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. अंकित गुप्ता पुत्र चन्द्रशेखर प्रसाद नि0 इस्लामपुर थाना इस्लामपुर नालन्दा बिहार (साल्वर)
4. अमित कुमार कन्नौजिया पुत्र मुंशीराम नि0 डोरा थाना सादात जनपद गाजीपुर (परीक्षार्थी)

वांछित अभियुक्त–

1. दुर्गेश तिवारी बिहार
2. बब्लू यादव नि0 जंगीपुर गाजीपुर।
3. श्रवण कुमार पुत्र रविन्द्र यादव नि0 बिहरा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
4. सूर्यकान्त कुशवाहा उर्फ पिण्टू पुत्र बलिराम सिंह कुशवाहा नि0 अन्धौन थाना कोतवाली गाजीपुर
5. विक्की कुमार बिहार
6. अमित बिहार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, कां0 विकास सरोज, हे0कां0 पंकज कुमार सिंह, कां0 प्रदीप यादव थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1. रामप्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव नि0 चितावन पट्टी थाना जमानिया जनपद गाजीपुर, 2. सुनील कन्नौजिया पुत्र राजनाथ कन्नौजिया नि0 चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, 3. अंकित गुप्ता पुत्र चन्द्रशेखर प्रसाद नि0 इस्लामपुर थाना इस्लामपुर नालन्दा बिहार, 4. अमित कुमार कन्नौजिया पुत्र मुंशीराम नि0 डोरा थाना सादात जनपद गाजीपुर को बाग लखराव पुल बहद ग्राम कोडर अजमतपुर से दिनांक 6.1.25 को समय 11.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरोह के अन्य प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त–1. दुर्गेश तिवारी बिहार 2. बब्लू यादव नि0 जंगीपुर गाजीपुर। 3. श्रवण कुमार पुत्र रविन्द्र यादव नि0 बिहरा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर। 4. सूर्यकान्त कुशवाहा उर्फ पिण्टू पुत्र बलिराम सिंह कुशवाहा नि0 अन्धौन थाना कोतवाली गाजीपुर । 5. विक्की कुमार बिहार 6. अमित बिहार, दुर्गेश तिवारी व विक्की के साथ मिलकर साल्वर की व्यवस्था करने का कार्य करता है। जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का चालान माननीय न्यायाल में किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रामप्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव नि0 चितावन पट्टी थाना जमानिया जनपद गाजीपुर,
2. सुनील कन्नौजिया पुत्र राजनाथ कन्नौजिया नि0 चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर,
3. अंकित गुप्ता पुत्र चन्द्रशेखर प्रसाद नि0 इस्लामपुर थाना इस्लामपुर नालन्दा बिहार, (साल्वर)
4. अमित कुमार कन्नौजिया पुत्र मुंशीराम नि0 डोरा थाना सादात जनपद गाजीपुर (परीक्षार्थी)

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद अर्टिका कार नं0 UP61BH3127

06 अदद मोबाईल घटना में प्रयुक्त

01 अदद कूटरचित आधार कार्ड विशाल कुमार , 03 अदद एडमिट कार्ड , 01 अदद प्रश्न पुस्तिका

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 6/25 धारा 61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),112(2) बीएनएस व 6 /10 सार्वजनिक परीक्षा अधि0

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01.प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़

01.निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी स्वाट टीम, उ0नि0 रूपेश सिंह, हे0कां0 चन्द्रमा मिश्रा व सम्पूर्ण स्वाट टीम जनपद आजमगढ़

03.उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, कां0 विवेक शर्मा, हे0कां0 पंकज कुमार सिंह, कां0 प्रदीप यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

04.उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, कां0 विकास सरोज थाना कोतवाली आजमगढ़

जनपद –मऊ

01. आवेदिका को फोन कर फर्जी पुलिस ऑफिसर बताकर डरा धमकाकर क्यूआरकोड भेजकर पेटीएम के द्वारा मंगवाया गया धनराशि 97,500 रुपये में से 52500 रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम मऊ पर आवेदिका सादिया नसीम पुत्री मो0 नसीमुद्दीन निवासी मुन्शीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के तहरीर के आधार पर पंजीकृत अभियोग 18/2024 धारा 318(4), 351(4), बी.एन.एस व 66सी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी पुलिस ऑफिसर बताकर डरा धमकाकर वाट्सअप के माध्यम से क्यूआर कोड भेज कर पेटीएम से मंगवाये गये 97500 रूपयें। थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.01.2025 को बैंक मैनेजर के सहयोग से आवेदिका सादिया नसीम उपरोक्त के बैंक एकाउन्ट मे कुल 52500/- रुपये वापस कराया गया। साइबर अपराध से बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें-किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. निरीक्षक अपराध सोनू कुमार , थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।
3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड –ए नवनीत पाण्डेय, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹15,000-15,000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 03-01-2025 को मु0अ0सं0 0028/1994 धारा 419/420/467/468/471/477 भादवि0 थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामजनम राम पुत्र देवनन्द राम निवासी सुसण्डी जनपद गाजीपुर, रामचन्द्र मिश्र पुत्र महादेव मिश्र निवासी कटसारी थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹15,000-15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।

3. टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी कम्पनी में पैसे लगाने के संबंध में कुल धनराशि 10,464 रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपगंज साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए वादी द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी कम्पनी में जुडकर दिए गए टॉस्क को पुरा करता था, एक दो बार टॉस्क पुरा करने पर आवेदक को कुछ रुपये मिले इसी लालच में आकर आवेदक ने अपना रुपया लगाया जिसे फर्जी कम्पनी द्वारा सभी रुपये गबन कर लिया गया। जिसके संबंध में आवेदक ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी । पीडित निलेश श्रीवास्तव पुत्र श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव निवासी खुखुन्दवा थाना कोपागंज जनपद मऊ के कुल धनराशि 10,464 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह थाना कोपागंज, नोडल अधि0 हरिकेश यादव, क0आ0 अभिजीत पटेल, का0 अंकित चौरसिया, म0आ0 उर्वशी शुक्ला थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

4. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 06-01-2025 को मु0अ0सं0 168/2017 धारा 406 भादवि0 थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र स्व0 मुखराम यादव निवासी शेखवलिया थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

<u>जनपद – बलिया</u>

1. थाना दुबहड़ जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार कब्जे 02 अदद अवैध चाकू बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (दक्षिणी) श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री गौरव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना दुबहड़ पुलिस टीम के उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार ,उ0नि0 श्री कालीशंकर तिवारी मय हमराह हे0का0 मनोज कुमार ,का0 आलोक कुमार के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के क्षेत्र में मामूर थे कि दौराने चेकिंग 1.आदित्य ठाकुर पुत्र सुरेन्द्र ठाकुर निवासी ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष 2.आर्यन वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा निवासी ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र करीब 21 वर्ष को दो अदद चाकू के साथ जनाड़ी चौराहा के पास समय 18.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 03/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुबहड़ जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आदित्य ठाकुर पुत्र सुरेन्द्र ठाकुर निवासी ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया

2.आर्यन वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा निवासी ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया

बारमदगी विवरण-

02 अदद अवैध चाकू